राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प.12(73)खान/ग्रुप–1/2016 जयपुर, दिनांक: 8 JAN 2018

:आदेश:

विभागीय बकाया एवं बकाया पर ब्याज माफी योजना 2017–18

1. **योजना का नाम एवं आरम्भ होने की तिथिः–**

1.1 इस योजना को बकाया वसूली माफी योजना 2017–18 कहा जावेगा।

1.2 यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **योजना की प्रभावी अवधि** – योजना इस आदेश के जारी होने की तिथि से **दिनांक 31.03.2018 तक** प्रभावी रहेगी।

3. **योजना की सामान्य शर्तेः–**

(i) इस योजना में वे प्रकरण निर्णित हो सकते हैं, जिनमें राजस्व बकाया दिनांक 31.03.2015 तक की अवधि से संबंधित हो, भले ही जिनमें मांग सृजन आदेश दिनांक 01.04.2015 या उसके पश्चात्वर्ती तिथि को जारी किये गये हो।

(ii) इस योजना के प्रावधान उन्हीं प्रकरणों पर लागू होंगे, जिनमें बाकीदार द्वारा इस योजना की शर्तों/निर्देशानुसार वांछित राशि निर्धारित तिथि तक जमा करवा कर उस क्षेत्र के खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो। योजना के अन्तिम दिवस को यदि किसी बाकीदार द्वारा योजना की शर्तों के अनुरूप राशि जमा करवा दी गई है तो ऐसे प्रकरणों को योजना के अंतिम दिवस के पन्द्रह (15) दिवस पश्चात् तक संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो अधिकतम तीन दिवसों में इसका निर्णय आवश्यक रूप से करेंगे। योजनानुसार राशि जमा होने पर सभी मामलों में संबंधित खनि/सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

(iii) बकाया प्रकरण निस्तारित करने की शक्तियां संबंधित कार्यालय के खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को प्राप्त होंगी। इसके अतिरिक्त भी निदेशक द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य अधिकारी को भी किसी क्षेत्र विशेष के लिये योजना के निस्तारण हेतु विशेष शक्तियां प्रदान की जा सकेगी।

(iv) यह योजना विभाग की समस्त प्रकार की बकाया के प्रकरणों में लागू होगी जैसे स्थिरभाटक, अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, आरसीसी/ईआरसीसी, निर्माण कार्यो की एसटीपी (अल्पावधि अनुमति पत्र), बोरोलेण्ड़ से खनन एवं निर्गमन, बिना रवन्ना वाहनों से अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी वसूली, किसी

नियम/शर्त की पालना न करने पर प्रक्रियात्मक कमियों के कारण बने खनिज कीमत एवं रॉयल्टी वसूली, पेनेल्टी आदि के बकाया संबंधित प्रकरण।

(v) इस योजना में ऐसे प्रकरणों के निस्तारण पर भी विचार किया जा सकता है, जिनमें किसी भी न्यायालय में बकाया को लेकर वाद विचाराधीन है। यदि प्रकरण न्यायिक/अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है तथा बाकीदार इस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम संबंधित न्यायालय से वाद वापस लेना (विड्रा करना) होगा तथा सत्यापित शपथपत्र (वचन पत्र) प्रस्तुत करना होगा कि वह इस बकाया संबंधी वसूली माफी योजना 2017–18 के तहत अपने प्रकरण निस्तारित करवा रहा है तथा भविष्य में वह इस योजना के तहत निर्णित संदर्भित बकाया प्रकरण को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं देगा।

(vi) भविष्य में इस योजना के तहत निर्णित बकाया प्रकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यदि संबंधित बाकीदार द्वारा उक्त सत्यापित शपथ पत्र (वचन पत्र) देने एवं अपने बकाया प्रकरण निस्तारण के पश्चात् भी ऐसा प्रकरण पुनः न्यायालय में ले जाकर वाद उत्पन्न करता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि बकाया पेटे जमा कर ली जावेगी तथा बकाया प्रकरण पुनः प्रारम्भ कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में ब्याज माफी योजना के तहत जारी आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। विभाग द्वारा इसके लिए बकायादार को अलग से सूचित नहीं किया जावेगा।

(vii) योजना के तहत बकाया की गणना में रॉयल्टी की वहीं दरें काम में ली जावेगी, जो प्रकरण के समय लागू थी।

(viii) अगर किसी बाकीदार द्वारा पूर्व में ही समस्त बकाया स्थिरभाटक/अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क अथवा अन्य बकाया की मूल राशि जमा करवा दी गई है तथा केवल ब्याज राशि ही शेष हैं, तो शेष ब्याज राशि इस योजना के तहत संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा माफ की जा सकेगी, भले ही आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

<u>विभिन्न प्रकार की बकाया के प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनुदेश :–</u>

अ. खननपट्टों की स्थिरभाटक/अधिशुल्क बकाया

1. बाकीदार को बकाया में से निम्नानुसार वांछित राशि निर्धारित तिथि तक जमा करवाकर खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जमा करवाने योग्य वांछित राशि एवं मिलने वाली छूट का विवरण इस प्रकार है:–

सारणी संख्या–1

क्र. सं.	बकाया अवधि	योजना लागू होने की तिथि को देय राशि एवं छूट (प्रतिशत में)			
		जमा करायी जाने वाली राशि (प्रतिशत में)		छूट (प्रतिशत में)	
		मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज
1	2	3	4	5	6
1.	31.03.1995 तक	40	—	60	100
2.	01.04.1995 से 31.03.2005 तक	60	—	40	100
3.	01.04.2005 से 31.03.2010 तक	80	—	20	100
4.	01.04.2010 से 31.03.2013 तक	90	—	10	100
5.	01.04.2013 से 31.03.2015 तक	100	10	—	90

ब. आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. प्रकरणों में बकायाः–

1. यह योजना आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. के रायल्टी संग्रहण ठेको पर लागू होगी। इसके लिये योजना के तहत बाकीदार (आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी ठेकेदार) द्वारा दिनांक 31.3.2011 तक के ठेकों की सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कराने पर उस पर देय शत प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जावेगा। जबकि दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2015 तक के ठेका के प्रकरणों रह गई बकाया के प्रकरणों के निस्तारण के लिये सम्पूर्ण बकाया राशि मय 25 प्रतिशत ब्याज जमा करवाई जानी होगी, जिसके पश्चात 75 प्रतिशत ब्याज राशि माफी योग्य होगी।
2. ऐसे प्रकरण जिनमे बिना रवन्ना खनिज परिवहन कर रहे वाहनों को ई.आर.सी.सी. ठेकेदार द्वारा विभाग को रॉयल्टी वसूली हेतु सौंपा जाना था, किन्तु ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर ही अधिशुल्क प्राप्त कर लिया है, में यदि तत्कालीन ठेकेदार द्वारा ऐसे वाहनों से वसूल की गई राशि के बराबर राशि विभाग में जमा करवा दी जाती तो ऐसे प्रकरण का भी निस्तारण किया जा सकेगा, किन्तु ठेकेदार द्वारा वसूल की गई राशि को ऐसे वाहनों के क्रम में विभागीय रिकार्ड से सत्यापन कर लिया जावेगा। यह सत्यापन संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता (कार्यालयाध्यक्ष) द्वारा दिया जावेगा। ये प्रकरण भी दिनांक 01.04.2005 से पूर्व के ठेको के ही होने चाहिए।
3. दिनांक 01.04.2015 से पूर्व के ऐसे प्रकरण जहां आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. ठेकेदार द्वारा किसी खनिज की निर्धारित रॉयल्टी दर से अधिक राशि अधिक/अधिशुल्क के रूप में प्राप्त कर ली गई है तो ऐसी अधिक दर पर की गई अतिरिक्त वसूली गई राशि को भी यदि ठेकेदार द्वारा विभाग में जमा करवा दिया जाता है तो उस पर देय पूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जावेगी।

स. **निर्माण विभाग के ठेकेदारों हेतु खनिज उपयोगार्थ अल्पावधि अनुमति पत्र (Short Term Permit) से संबंधित प्रकरणः–**

1. इस योजना के तहत अल्पावधि अनुमति पत्र **(STP)** के तहत समस्त प्रकरण निस्तारित किये जा सकेगे जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्माण विभाग, शासकीय अर्द्धशासकीय, स्वायत्तशासी संस्थानों के कार्यो के ठेकेदारों से संबंधित है तथा जिनकी मांग अवधि दिनांक 01.04.2015 से पूर्व की हो चाहे मांग कायमी दिनांक 01.04.2017 के पश्चात की गई हो।
2. इस योजना के तहत बोरोलैण्ड **(Borrow Land)** से खनिज उत्खनन एवं प्रयोग से जुडे उन समस्त प्रकरणों को निस्तारित किया जा सकेगा जिनमें बकाया दिनांक 01.04.2015 से पूर्व की हो चाहे मांग कायमी बाद में की गई हो।
3. एस.टी.पी./बोरोलेण्ड **(Borrow Land)** के प्रकरणों में बकाया में से वांछित राशि जमा करवाने पर शेष बकाया माफी निम्न विवरणानुसार की जा सकेगी :–

क्र.सं.	प्रकरण वार विवरण	जमा कराये जाने योग्य राशि
1.	यदि निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा बिना एस.टी.पी. जारी करवाये कार्य किया हो –	
अ.	संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित दर पर कटौती कर ली गई है।	देय रॉयल्टी का दो गुणा।
ब.	संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित दर पर कोई कटौती नही की गई है।	देय रॉयल्टी का तीन गुणा।
स.	बोरोलेण्ड (Borrow Land) से खनिज, मिट्टी आदि के समस्त प्रकरण जहां खनिज का परिवहन हुआ है।	देय रॉयल्टी का दो गुणा।
2.	निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा खनिज विभाग से एस.टी.पी. प्राप्त कर कार्य किया हो–	
अ.	एस.टी.पी. में अंकित मात्रा से दो गुणा तक खनिज का उपयोग किया हो	समस्त उपयोग पर एकल रॉयल्टी ली जावेगी।
ब.	एस.टी.पी. में अंकित मात्रा से दो गुणा से अधिक खनिज का उपयोग किया हो	दो गुना उपयोग तक एकल रॉयल्टी तथा खनिज की दो गुणा से अधिक मात्रा पर दो गुणा रॉयल्टी ली जावेगी।

नोट –उपरोक्तानुसार जो राशि गणित की जावेगी उसमें से यदि ठेकेदार द्वारा पूर्व में कोई राशि जमा करा दी है तो उसे शेष राशि ही जमा करानी होगी।

अपवादः–

1. यह योजना लाईमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) के खननपट्टों पर लागू नहीं होगी।
2. जिन प्रकरणों में पूर्व में ही सम्पूर्ण बकाया (ब्याज सहित) जमा हो चुकी है, उन पर इस योजना के तहत कोई पुर्नविचार नहीं किया जा सकेगा (will not be reopened)।
3. पूर्व में आंशिक रूप से जमा कराई गई राशि पूर्व के दायित्वों के विरूद्ध मानी जाकर शेष बकाया राशि पर ही यह योजना लागू होगी।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की सहमति आई.डी. संख्या 101706645 दिनांक 03 जनवरी, 2018 से जारी किया जाता है। उक्त आदेश अलवर एवं अजमेर संसदीय क्षेत्र एवं माण्ड़लगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

(ललित कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खान राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव